51

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–गुना R 1120-PBR/17

शिवचरण सिंह तोमर पुत्र श्री रामेश्वर सिंह तोमर, निवासी– कांसल तहसील बमौरी जिला–गुना (म.प्र.)

...... आवेदक

श्री ...... चतुर्वेदी अधि.
द्वारा आज दि. 07.4.17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला गुना
2– रफीक अहमद पुत्र श्री मुन्शी रजा
3– हरी सिंह पुत्र श्री नन्नू लाल यादव
4– दयाराम पुत्र श्री धेना बंजारा
5– देरमॉं पुत्र श्री गांगा

निवासीगण – ग्राम कांसल तहसील बमौरी जिला गुना (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला गुना के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रो के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

D Chaturvedi
07/04/17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1120—पीबीआर/17 जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3—8—2017	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री आर.पी. पालीवाल, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष को सुना गया । आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में कलेक्टर से जवाब चाहा गया था । कलेक्टर द्वारा जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा स्वमेव पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 2/स्व.निगरानी/2016—17 दर्ज किया जा चुका है, जिसमें कार्यवाही प्रचलित है । अतः आवेदक कलेक्टर के समक्ष प्रचलित स्वमेव पुनरीक्षण प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए अनुरोध करे । इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	